न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — रामकिशोर मीणा (RAS)

प्रकरण सं०-12/20 — दायर दिनांक · 14·07·20

कमली पत्नि किशन जाति-कोली निवासी लेसगांव तहसील नादौती जिला करौली

---प्रार्थिया

बनाम

1· राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर
2· रामस्वरूप पुत्र प्रभू
3· मु· चन्द्रकला पत्नि शिवचरन
4· भूपेन्द्र पुत्र शिवचरन
5· जीतेन्द्र पुत्र शिवचरन
6· मु· प्रेम पत्नि रामलाल
7· विजयसिंह पुत्र रामलाल
8· करनसिंह पुत्र रामलाल
9· इन्द्रदत्त पुत्र रामलाल
10 विष्णु कुमार पुत्र रामलाल
11· प्रेमसिंह पुत्र रामलाल

(क्रम 2 से 11) जाति जाटव निवासी हेटेरीपुरा तहसील भुसावर जिला-भरतपुर

----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता श्री पवन तिवारी - प्रार्थी
" श्री चन्द्रशेखर तिवारी · अप्रार्थीगण

<u>निर्णय दिनांक</u> - 12·10·2020

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं· 671 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम गोजौरा तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, 652 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 653 मिन रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, 654 रकबा 04 बिस्वा, 655 मिन रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम रामनगर तहसील भुसावर में स्थित है। जिनके भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नये आराजी खसरा नम्बर बनाये गए, जिनमें से खसरा नम्बर 671 नया खसरा नम्बर $\frac{609}{0.5300}$, $\frac{201}{6.8800}$, $\frac{202}{0.4100}$, $\frac{203}{0.0100}$, $\frac{204}{0.0900}$, $\frac{205}{0.9500}$, तथा $\frac{206}{0.0300}$, $\frac{207}{0.0900}$, $\frac{208}{1.3100}$ हैक्टर बनाये गए है।

रकबा 04 बिस्वा का 1/2 हिस्सा तथा 655 मिन रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम रामनगर तहसील मुजाल का 76/163 हिस्सा को प्रार्थिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा गया जिसका नामान्तरकरण भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2072 लगायत 2075 में अंकन हो गया था और प्रार्थिया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है।

उक्त खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाते हुए नई जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2074 बनाते समय सहवन गलती से खसरा नम्बर 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 वाके ग्राम रामनगर तहसील मुजाल में प्रार्थिया की खातेदारी का अंकन समाप्त करते हुए पूर्व खातेदार रामलाल, रामस्वरूप, शिवचरन पुत्रान प्रभु वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज कर दिये तथा इसी प्रकार से खसरा नम्बर 609 में प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज कर शेष 1/3 हिस्सा पर रामस्वरूप, शिवचरन पुत्रान प्रभू की खातेदारी का अंकन कर दिया है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के है। अतः वादिनी द्वारा उक्त गलती को दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तल्बी जरिये रजिस्टर्ड Ad. नोटिस जारी किये गए नोटिस की तामील में अप्रार्थीगण ~~की~~ 2 लगायत 11 की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। तथा अप्रार्थीगण 2 लगायत 11 की ओर से राजीनामा पेश किया गया मुताबिक राजीनामा प्रार्थिया की पहचान पवन तिवारी एड. तथा अप्रार्थीगण की पहचान श्री चन्द्रशेखर तिवारी एडवोकेट द्वारा की गई मुताबिक राजीनामा अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी पर उसी समय से जब भूमि खरीदी है अपने हिस्से पर कामनी का ही कब्जा है व काश्त लेकिन राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की सहवन गलती से पूर्व खातेदारान अप्रार्थी व उनके पूर्वजों के नाम पुनः प्रार्थियों की खातेदारी को ओवरलुक करते हुए दर्ज कर दिया गया था। इस प्रकार प्रार्थियां के नाम इन्द्राज को दुरुस्त करते हुए खातेदारी प्रार्थियां के नाम पुनः दर्ज करने में हम अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार मुजाल से जवाब लिया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान तथा पेशकार सरकार तहसीलदार मुलावर को सुना गया। अप्रार्थीगण रूलगायत 11 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत ~~प्रस्तुत~~ दस्तावेजी रिकार्ड जैसे नकल जमाबन्दी सं. 2072 से 2075, 2074 से 2077, 2060-63, 2060-63, 2064-से 2067, 2068 से 2071, नकल नामान्तकरण दि० 20.10.05, रोजरो प्रतिया मिलान शेत्र फसल 2010-2030 का भलीभांति अवलोकन किया गया। उक्त आधार पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर तहसीलदार मुलावर को आदेशित किया जाता है कि वे आ०ख०नं० 609 रकबा 0.5300 हैक्टर वाके ग्राम जोगौरा तहसील मुलावर से रामस्वरूप, शिवचरन की खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया कमली पत्नि किशन कौम कोली सा० तेसगांव तह० मादोती जिला करौली को 1/2 हिस्से की, व आराजी खसरा नम्बर 201 रकबा 0.8800, 202 रकबा 0.4100, 203 रकबा 0.0100, 205 रकबा 0.9500, 206 रकबा 0.0300 में 1/2 हिस्सा 207 रकबा 0.0100, 208 रकबा 1.3100 मे 76/163 हिस्सा वाके ग्राम राजनगर तहसील मुलावर में रामलाल, रामस्वरूप, शिवचरन पुत्रान प्रभू नाम के अंकन को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया कमली पत्नि किशन जाति कोली सा. तेसगांव तह० मादोती जिला करौली के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नियमानुसार बाद अच्छी तरह जांच कर किया जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

राजकिशोर मीणा
(RAS)
उपखण्ड अधिकारी